O/C

प्रति,

श्रीमान् थाना प्रभारी,
पुलिस थाना मानिकपुर, कोरबा,
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषयः– मेरे भाई की पुत्री हर्षिका श्रीवास्तव को शैक्षणिक सत्र 2024–25 में कक्षा–एल.के.जी. में प्रवेश दिलाने के लिये दीपक पंड्या–ए.जी.एम., एस.ई.सी.एल., कोरबा एरिया के द्वारा पैसों की मांग किये जाने एवं नहीं दिये जाने पर गाली–गलौज कर अपमानित किये जाने एवं धमकी दिये जाने के संबंध में शिकायत।

महोदय,

निवेदन है कि मैं पवन श्रीवास्तव आ.–सुरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, ठाकुरदेव मंदिर के पीछे, गाँधी चौक, बिलासपुर (छ.ग.), का रहने वाला हूँ एवं छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में वकालत का काम करता हूँ। आज दिनांक–29.04.2024 को मैं अपने साथी अधिवक्ता हरि प्रसाद साहू, निवासी–सरकण्डा, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.), के साथ अपने पक्षकार सुदामा बाई टण्डन पति–स्व. भरोस राम टण्डन निवासी–अम्बेडकर चौक, मदरा पारा, बालको, जिला–कोरिया (छ.ग.), के कार्य से कोरबा आया हुआ था। मेरा भाई प्रदीप कुमार कोरबा में रेलवे में शंटर के पद पर पदस्थ है जो कि न्यू रेलवे कालोनी, कोरबा, छ.ग., में अपने परिवार के साथ निवासरत है। बिलासपुर से आने के बाद मैं अपने भाई के घर गया था जहाँ उसने बताया कि कि उसने अपने विभाग में आवेदन प्रस्तुत कर अपनी पुत्री हर्षिका श्रीवास्तव को डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, एस.ई.सी.एल., कोरबा (छ.ग.) के कक्षा–एल.के.जी. में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में प्रवेश दिलाये जाने हेतु निवेदन किया था जिस पर एरिया रेलवे मैनेजर, कोरबा ने अपने अनुशंसा पत्र दिनांक–26.02.2024 के माध्यम से मेरे भाई की पुत्री को प्रवेश दिलाये जाने हेतु एरिया जनरल मैनेजर, एस.ई.सी.एल., कोरबा एरिया, से निवेदन किया था जिसे स्वीकर करते हुये एरिया पर्सनल मैनेजर, एस.ई.सी.एल., कोरबा एरिया (जो कि डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल एस.ई.सी.एल., कोरबा के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं) ने अपने पत्र दिनांक–03.04.2024 के द्वारा शिक्षा सत्र 2024–25 में मेरे भाई प्रदीप की पुत्री को डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल एस.ई.सी.एल., कोरबा में कक्षा–एल.के.जी. में प्रवेश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसके बाद मेरा भाई प्रदीप डी.ए.वी. स्कूल की प्राचार्य अनामिका भारती से मिला था तब प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिये जाने की बात कही गयी। परंतु प्राचार्य अनामिका भारती के अवकाश पर चले जाने एवं दिनांक–18.04.2024 को अवकाश से वापस आने के पश्चात् आवेदक दिनांक–19.04.2024 से निरंतर उनसे निवेदन कर रहा था परंतु 25.04.2024 तक मेरे भाई की पुत्री को प्रवेश नहीं दिये जाने पर मेरे भाई प्रदीप के द्वारा दिनांक–26.04.2024 को प्राचार्य अनामिका भारती के पास लिखित आवेदन प्रस्तुत कर प्रवेश दिये जाने का निवेदन किया परंतु उनके द्वारा आवेदन लेने से इंकार करते हुये कहा गया कि एरिया जनरल मैनेजर, एस.ई.सी.एल., कोरबा एरिया, के द्वारा मौखिक या लिखित स्वीकृति के पश्चात् ही प्रवेश दिया जायेगा। तब मेरे भाई प्रदीप ने अपना आवेदन पत्र दिनांक–26.04.2024 को डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल एस.ई.सी.एल., कोरबा, को ई मेल के माध्यम से भेजा एवं आवेदक दीपक पंड्या से मिलने उसके कार्यालय गया जहाँ दीपक पंड्या ने 50,000/–रूपये देने पर ही एडमिशन के लिये स्वीकृति देने की बात कही। जिसकी शिकायत मेरे भाई प्रदीप ने कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा से भी की है।

जिला पुलिस कार्यालय कोरबा (छत्तीसगढ़) 29/4/24

29/4/2024

Scanned with CamScanner

आज जब मैं अपने पक्षकार के काम से कोरबा आया था तो मेरे भाई प्रदीप ने उपरोक्त सारी बात बताया तब मैने कहा एक बार मैं भी दीपक पंड्या (ए.जी.एम., एस.ई.सी.एल., कोरबा एरिया) से मिल कर एडमिशन के लिये निवेदन कर लूँगा। फिर मैं आज दिनांक–29.04.2024 को करीब 11.00 बजे अपने साथी हरि प्रसाद साहू के साथ दीपक पंड्या से मिलने उनके कोरबा स्थित कार्यालय गया जहाँ दीपक पंड्या के कक्ष के बाहर उनके पी.ए. विवेक सक्सेना से मैने दीपक पंड्या से मिलने का निवेदन किया तब विवेक सक्सेना, दीपक पंड्या से अनुमति लेकर मुझे उनके कक्ष में हरि प्रसाद साहू के साथ भेज दिया जहाँ मेरे द्वारा उनसे अपने भाई की पुत्री के प्रवेश हेतु स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन किया गया तब दीपक पंड्या ने कहा एडमिशन हो जायेगा पर उसके लिए रू. 50,000/–(पचास हजार रूपये) लगेगा स्वीकृति मिल जायेगा तुम्हारे भाई को बता दिया था वो नहीं बताया क्या, वो पैसा नहीं दिया है इसीलिये एडमिशन रूका है। मेरे द्वारा यह कहे जाने पर कि पूर्व में ही एरिया पर्सनल मैनेजर, एस.ई.सी.एल., कोरबा द्वारा एडमिशन दिये जाने के लिये पत्र जारी किया जा चुका है तो पैसा क्यों लगेगा। इतना सुनते ही दीपक पंड्या भड़क गया और बोलने लगा, कि पैसा दोगे तो बोलो नही तो जाओ यहाँ से मेरा टाईम खराब मत करो तब मेरे द्वारा इतना पैसा दिये जाने से मना किया गया तो बोलने लगा कि भिखारी है क्या तब मेरे द्वारा ऐसे बात किये जाने से मना किया गया तो और भड़क गया बोलने लगा भाग यहाँ से भोसड़ीके, मादरचोद, तब मैने कहा कि गाली मत दो तो पुनः गाली देते हुए बोला कि भाग यहाँ से और दुबारा ऑफिस कैम्पस में मत घुसना भिखारी साले यहाँ आके टाइम खराब करता है देखता हूँ तेरे भाई की बेटी का एडमिशन कैसे होता है, जाये साला जहाँ एडमिशन करवाना हो करवा ले, यदि पैसा देगा तो डी.ए.वी. स्कूल में एडमिशन होगा, नहीं तो कोरबा में बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं बोल देना अपने भाई से कि उसमें पढ़ा ले अपने बेटी को वहाँ फ्री में खाना भी मिलेगा। तब मैं और हरि प्रसाद साहू उसके कक्ष से बाहर आ गये और अपने भाई को सारी बात फोन पर बता कर यह लिखित आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत कर रहा हूँ।

अतः महोदय से निवेदन है कि, दीपक पंड्या–एरिया जनरल मैनेजर, एस.ई.सी.एल., कोरबा एरिया, के द्वारा अपने कार्यालय स्थित कक्ष में मेरे साथ गाली गलौज कर अपमानित किया है और धमकी दिया है जिससे यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। दीपक पंड्या के विरूद्ध भा.दं.वि. की उचित धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज कर दण्ड दिलाने हेतु उचित कार्यवाही की जावे।

29/4/2024

दिनांकः–29.04.2024
कोरबा, छ.ग.।

आवेदक–पवन श्रीवास्तव
निवासी–ठाकुरदेव मंदिर के पीछे, गाँधी चौक, बिलासपुर (छ.ग.)
मो.नं.–9827114877

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस अधीक्षक, कोरबा को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु।

Scanned with CamScanner

प्रति,

श्रीमान् अध्यक्ष / सचिव,
जिला अधिवक्ता संघ, कोरबा
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषय:– दीपक पंड्या–ए.जी.एम., एस.ई.सी.एल., कोरबा एरिया के द्वारा मेरी भतीजी हर्षिका श्रीवास्तव का डी.ए.वी. स्कूल में एडमिशन कराने के लिये स्वीकृति देने हेतु पैसों की मांग किये जाने एवं नहीं दिये जाने पर मेरे साथ अपने कक्ष में गाली–गलौज कर अपमानित किये जाने एवं धमकी दिये जाने के संबंध में उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन।

महोदय,

निवेदन है कि मैं पवन श्रीवास्तव, आ.–सुरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, ठाकुरदेव मंदिर के पीछे, गोंधी चौक, बिलासपुर (छ.ग.), का रहने वाला हूँ एवं छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में वकालत का काम करता हूँ। आज दिनांक–29.04.2024 को मैं अपने साथी अधिवक्ता हरि प्रसाद साहू, निवासी–सरकण्डा, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.), के साथ अपने पक्षकार सुदामा बाई टण्डन पति–स्व. भरोस राम टण्डन निवासी–अम्बेडकर चौक, भदरा पारा, बालको, जिला–कोरिया (छ.ग.), के कार्य से कोरबा आया हुआ था तब मैं अपने भाई प्रदीप कुमार से मिलने उसके न्यू रेलवे कालोनी, कोरबा, छ.ग., स्थित घर गया था। वहाँ मेरे भाई ने बताया कि एरिया पर्सनल मैनेजर, एस.ई.सी.एल. कोरबा एरिया की स्वीकृति के बाद भी उसकी पुत्री हर्षिका श्रीवास्तव को डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, एस.ई.सी.एल., कोरबा (छ.ग.) के कक्षा–एल के जी में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है जिसके लिये दीपक पंड्या द्वारा जो कि एस.ई.सी.एल. कोरबा एरिया का एरिया जनरल मैनेजर है, पुनः स्वीकृति देने के लिये रू. 50,000/– मांग रहा है जिसकी शिकायत कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को कर दिया हूँ। तब मैंने कहा यहाँ आया हूँ तो एक बार मैं भी दीपक पंड्या से मिल कर निवेदन कर लूँगा। फिर मैं आज करीब 11.00 बजे अपने साथी हरि प्रसाद साहू के साथ दीपक पंड्या से मिलने उनके कोरबा स्थित कार्यालय गया जहाँ दीपक पंड्या ने रू. 50,000/– देने के बाद ही स्वीकृति देने की बात कही एवं मेरे द्वारा पैसे दिये जाने से मना करने पर मुझे गंदी–गंदी गाली देकर मुझे अपमानित किया तथा धमकी दिया कि बिना पैसे दिये एडमिशन नहीं होगा। तब मैं अपने साथी हरि प्रसाद साहू के साथ आकर पुलिस थाना–मानिकपुर, कोरबा में दीपक पंड्या के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु समस्त घटना की लिखित शिकायत किया हूँ, जिसकी सूचना अधिवक्ता संघ को दे रहा हूँ। थाना में किये गये शिकायत की प्रति संलग्न।

अतः संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से निवेदन है कि, दीपक पंड्या–एरिया जनरल मैनेजर, एस.ई.सी.एल., कोरबा एरिया, के द्वारा अपने कार्यालय स्थित कक्ष में मेरे साथ गाली गलौज कर अपमानित किये जाने और धमकी दिये जाने के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने एवं दण्ड दिलाये जाने हेतु, उचित कार्यवाही की जावे।

Cam Peaked [signature] 29/4/24 (stamp: जिला अधिवक्ता संघ कोरबा)

[signature] 29/4/2024

दिनांकः–29.04.2024
कोरबा, छ.ग.।

आवेदक–पवन श्रीवास्तव (अधिवक्ता)
छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर
मो.नं.–9827114877

संलग्न:–
(1) पुलिस थाना, मानिकपुर, कोरबा में की गयी शिकायत की प्रति।

Scanned with CamScanner